

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई,  
मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं पूर्वी चम्पारण।

पटना-15 दिनांक-19-05-16

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-मू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0002- हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701-लघु कार्य मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 2,48,06,000/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख छः हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-464(9)/रा0 दिनांक-13.07.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-477(9) दिनांक-18.07.2016 के आलोक में राज्य के प्रमुख श्रावणी मेला-2016 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत राशि कुल 2,48,06,000/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख छः हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	बांका	35,00,000/- (पैंतीस लाख)	35,00,000/- (पैंतीस लाख)
2	भागलपुर	58,00,000/- (अठारह लाख)	58,00,000/- (अठारह लाख)
3	मुंगेर	45,00,000/- (पैंतालीस लाख)	45,00,000/- (पैंतालीस लाख)
4	लखीसराय	18,00,000/- (अठारह लाख)	18,00,000/- (अठारह लाख)
5	जमुई	10,00,000/- (दस लाख)	10,00,000/- (दस लाख)
6	मुजफ्फरपुर	36,00,000/- (छत्तीस लाख)	36,00,000/- (छत्तीस लाख)
7	बेगुसराय	43,76,000/- (तेतालीस लाख छिहत्तर हजार)	43,76,000/- (तेतालीस लाख छिहत्तर हजार)
8	पूर्वी चम्पारण	2,30,000/- (दो लाख तीस हजार)	2,30,000/- (दो लाख तीस हजार)
	कुल	2,48,06,000/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख छः हजार)	2,48,06,000/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख छः हजार)

- उपर्युक्त राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जाएगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 (वि0)(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग संख्या इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

कृ0पृ0उ0

7. आवंटित राशि की निकासी के बाद इसका व्यय राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित पदाधिकारी समाहर्ता/ अपर समाहर्ता/ सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचल पदाधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,  
9/9/16  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।